केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस,
नई दिल्ली -110067

संचित संख्या: CICOM/R/P/20/00494 दिनांक : 19.11.2020

सेवा में,

Shri Sarvjeet Kumar

विषय :

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन दिनांक 04.11.2020 , इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 17.11.2020 को फाइल संख्या CICOM/R/P/20/00494 के तहत अपीलार्थी को सीधे सूचना प्रदान करने हेतू अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ । जिसका उत्तर बिन्दुअनुसार इस प्रकार है:-

1. **प्रथम** : कमीशन के केस संख्या CIC/WB/C/006/00066 – शेखर सिंह एंव अन्य Vs. PMO के अनुसार अपीलार्थी ने कोई ऐसा दस्तावेज प्रमाण में नहीं सलंग्न किया जिसके मद्देनजर चाही गई सूचना RTI Act-2005 Section के 7(1) के तहत Life and Liberty Provision में कवर है जिसके कारण उसे 48 घंटे में सूचना दी जाएं ।

   द्वितीय : RTI Act-2005 के सेक्शन 8 (1)(J) के तहत चाही गई सूचना प्रदान नहीं की जा सकती इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट के गिरीश रामचंद्रा देशपांडे Vs. केन्द्रीय सूचना आयोग के SLP (C.W) No. 27734/2012 के मामले में 03.10.2012 के निर्णय के तहत भी सम्पति से सम्बंधित जानकारी disclose नहीं की जा सकती ।

2. कृपया उपरोक्त जवाब जहाँ तक 48 घंटे में सूचना प्रदान करना है, का अवलोकन करें । कितने केस लौटाये गये एंव कितने पंजीकृत (स्वीकार) किये गये केसों से सम्बंधित सूचना इस कमीशन की वेब-साईट (https://cic.gov.in) पर "MIS Reports" में "Monthly Report on Registered and Return Cases" में readily उपलब्ध है ।

3. चूँकि अपीलार्थी ने अशिष्ट (Unparliamentary) भाषा का उपयोग करके निजी आक्षेप लगाये है, तथा सवाल पूछा गया है जो कि सेक्शन 2(f) of RTI Act से परे है । अत: इस बिंदु का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि RTI Act- 2005 के सेक्शन 19(6) एंव RTI Rule 8 of RTI Rules 2012 अनुरूप केस न होने के कारण उसे कमीशन के सुविधा ज्ञापन (Diary No. 13177/2000) जिस की प्रति अपीलार्थी ने स्वयं सलंग्न की है जो कि self-explanatory है के तहत अपीलार्थी को उसका केस लौटा दिया गया ताकि वह दर्शायी गई त्रुटियों को दूर करके अपना केस पुन: प्रस्तुत कर सके ।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं है तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते है । प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता इस प्रकार है, **Smt. Meena Balimane Sharma, प्रथम अपीलीय अधिकारी ,कमरा न . 502, केन्द्रिय सूचना आयोग ,बाबा गंगनाथ मार्ग ,नजदीक पुराना जे न यू कैंपस ,नई दिल्ली 110067** । उनका दूरभाष न .011-26162290 है ।

रा. कुमार
(राम कुमार)
सी पी आई ओ/आर टी आई प्रकोष्ठ
दूरभाष न. – 011-26172690

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
20 NOV 2020
D. No.........
Initials.........